पुनः ज्ञापांक 1333 दिनांक 02.07.2018 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया। उक्त निदेश के आलोक में विक्रेता ने दिनांक 10.07.2018 को द्वितीय स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। इसे भी संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण खुशी स्वयं सहायता समूह जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति सं0 24/2012 ग्राम जरूवाडीह प्रखंड दुमका की अनुज्ञप्ति को तत्कालीन प्रभाव से रद्द किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध में यह अपील आवेदन दायर किया गया है।

इस संदर्भ में अपीलकर्त्ता का कहना है कि दुकान अनुज्ञप्ति में उल्लेखित पता इंदिरानगर, पुराना दुमका के दाग सं0 568 में चल रहा है। रमजान पर्व रोजा के समय जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका द्वारा निरीक्षण किया गया है। विक्रेता के विरूद्ध किसी भी कार्डधारियों द्वारा कोई शिकायत नहीं किया गया है और न तो उनके भंडार में कमी पायी गयी है और न तो अधिक मूल्य लेने का शिकायत प्राप्त है। समूह द्वारा सूचारू रूप से दूकान का संचालन किया जा रहा है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाय।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी के निरीक्षण के अवधि में अपीलकर्त्ता एवं समूह के सदस्यों का रमजान पर्व रोजा चल रहा था जिसके चलते निरीक्षण के दौरान सदस्यगण समय पर उपस्थित नही थे। इनके विरूद्ध कार्डधारियों के द्वारा किसी प्रकार का कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। उनके विरूद्ध अनाज वितरण में किसी प्रकार का हेराफेरी अथवा कालाबाजारी का कोई शिकायत नहीं है। दूकान उसी दाग की जमीन पर स्थित मकान पर संचालन हो रहा है जो अनुज्ञप्ति पर अंकित है। ऐसी स्थिति में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा अनुज्ञप्ति को पुर्नजीवित किया जाता है। अपीलकर्त्ता/समूह के सदस्यों को भी आदेश दिया जाता है कि जन वितरण प्रणाली दूकान में खाद्यान सामग्री एवं किरोसिन तेल अलग-अलग कमरें में रखा जाय।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त 4/1/18
दुमका।

उपायुक्त 4/1/18
दुमका।

<
उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0अपील सं0– 02/2018–19

सहजादी खातुन .... अपीलकर्ता

बनाम्

सरकार ....उत्तरकारी

।। आदेश ।।

14/12/2018 यह रे0मि0 अपील वाद सं0– 02/2018–19 अपीलकर्त्ता सहजादी खातुन पति रोशन अली, अध्यक्ष खुशी स्वयं सहायता समूह, पुराना दुमका द्वारा दायर किया गया है, जिसमें जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका द्वारा स्वयं सहायता समूह, जरूवाडीह पुराना दुमका को निर्गत जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति सं0 24/2012 को आदेश सं0 130/2018 द्वारा रद्द किया गया है जिसकी सूचना समूह को ज्ञापांक 1423/जि0आ0 दिनांक 21.07.2018 द्वारा प्राप्त है, को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल लिखित बहस एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनान्तर्गत जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति सं0 24/2012 स्वयं सहायता समूह जरूवाडीह, पुराना दुमका को निर्गत किया गया है। उक्त अनुज्ञप्ति को निम्न न्यायालय जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका ने जाँचोपरान्त जन वितरण की कार्यकलाप में अनियमितता पाये जाने के कारण आदेश सं0 130/2018 द्वारा अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया, जिसकी सूचना स्वयं सहायता समूह, जरूवाडीह, पुराना दुमका को ज्ञापांक 1423/जि0आ0 दिनांक 21.07.2018 द्वारा दिया गया।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश स्वयं सहायता समूह के अनुज्ञप्ति को रद्द करने का मुख्य कारण दुकान समूह के अध्यक्ष के व्यक्तिगत आवास में संचालन करना, जिसमें नाम मात्र का कमरा जो अत्यंत छोटा है। किरासन तेल का ड्रम एवं चावल के लिये अलग से कमरा उपलब्ध न होना, किरासन तेल का ड्रम को भी खाद्यान चावल के बोरी के साथ रखा जाना। निरीक्षण के दौरान दुकानदार द्वारा भंडार पंजी एवं वितरण पंजी का न दिखाया जाना एवं समूह के कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं होना आदि। दुकान का संचालन सरकारी/विभागीय मानकों के अनुसार नहीं किये जाने के कारण निम्न न्यायालय द्वारा आदेश सं0 167/2018 ज्ञापांक 1046/जि0आ0 दिनांक 28.05.2018 के द्वारा निलंबित करते हुए विक्रेता से स्पष्टीकरण करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश के आलोक में विक्रेता द्वारा दिनांक 04.06.2018 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाये जाने के कारण

14/12/18